भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 263
13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुर्ज्ञान योजना के अंतर्गत क्षमता निर्माण

*263. श्री बस्तीपति नागराजू:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयुर्ज्ञान योजना के क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा घटक के तहत आवेदन करने वाले सरकारी और निजी संस्थानों/संगठनों सहित अन्य संस्थानों/संगठनों की कुल संख्या के संबंध में विशेषतः आंध्र प्रदेश सहित राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश से प्रोएक्टिव एप्रोच और रिएक्टिव एप्रोच दोनों से संबंधित प्राप्त एवं स्वीकृत प्रस्तावों की कुल संख्या कितनी-कितनी है;

(ग) आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) और अनुसंधान एवं नवाचार जैसे घटकों को आवंटित धनराशि का राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्र वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा घटक के तहत प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं की कुल संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार द्वारा इस योजना की प्रभावशीलता और परिणाम की समीक्षा के लिए कोई प्रभाव अध्ययन/आकलन किया गया है या किए जाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

लोक सभा में दिनांक 13 दिसंबर, 2024 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 263* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): 'आयुष में क्षमता निर्माण और सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई)' आयुर्ज्ञान नामक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना का एक घटक है जिसे वर्ष 2021-22 से कार्यान्वित किया गया है। सीएमई की समग्र संरचना का उद्देश्य आयुष कर्मियों को आवश्यकता-आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने और ज्ञान संबंधी अभावों को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

'क्षमता निर्माण और सीएमई' घटक के तहत, 20 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 147 संस्थानों/संगठनों नामत: महाराष्ट्र में 22, तमिलनाडु में 16, कर्नाटक में 15, उत्तर प्रदेश में 13, मध्य प्रदेश में 12, गुजरात में 11, दिल्ली में 08, राजस्थान में 7, तेलंगाना में 7, केरल में 6, ओडिशा में 5, पश्चिम बंगाल में 5, हरियाणा में 4, उत्तराखंड में 4, असम में 3, हिमाचल प्रदेश में 3, जम्मू और कश्मीर में 3 तथा आंध्र प्रदेश, मेघालय और पंजाब में प्रत्येक से 01 आवेदन किया गया है।

(ख): केंद्रीय क्षेत्रीय योजना होने के कारण, संगठन प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सीएमई घटक के तहत आयुष मंत्रालय को सीधे प्रस्ताव भेज सकते हैं। विगत 03 वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित संगठनों से 02 प्रस्ताव अर्थात पंचकर्म पर शिक्षकों हेतु 01 (6-दिवसीय) सीएमई कार्यक्रम तथा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के लिए 01 (6-दिवसीय) सीएमई कार्यक्रम प्राप्त हुए और उन्हें मंजूरी दी गई।

(ग): आयुर्ज्ञान योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक के लिए 35.92 करोड़ रुपये (अर्थात क्षमता निर्माण और सीएमई घटक के लिए 17.95 करोड़ रुपये तथा आयुष घटक में अनुसंधान और नवाचार के लिए 17.97 करोड़ रुपये) की राशि आवंटित की गई है। योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 46.16 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ आयुर्वेद जीवविज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान नामक एक तीसरा (नया) घटक जोड़ा गया और उसके बाद वित्त वर्ष 2024-25 तक आयुर्ज्ञान योजना का कुल आवंटन बढ़कर **82.08 करोड़** रुपये हो गया। केंद्रीय क्षेत्रीय योजना होने के कारण, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित पात्र संस्थानों को निधियॉ सीधे जारी की जाती हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, पात्र संस्थानों को जारी की गई निधियों के विवरण संलग्नक पर दिए गए हैं।

(घ): जी हां, आयुष घटक में क्षमता निर्माण और सीएमई के तहत कुल 4862 प्रशिक्षु अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 में 761 प्रशिक्षु, वित्त वर्ष 2022-23 में 2299 प्रशिक्षु, वित्त वर्ष 2023-24 में 1350 प्रशिक्षु और वित्त वर्ष 2024-25 (दिनांक 10.12.2024 तक) में 452 प्रशिक्षु प्रशिक्षित किए गए।

(ङ): इस मंत्रालय ने योजना की प्रभावशीलता और परिणाम की समीक्षा के लिए आज तक कोई प्रभावकारिता अध्ययन/मूल्यांकन नहीं किया है।

*****

संलग्नक

आयुर्ज्ञान योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पात्र संस्थानों को जारी की गई निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रूपये में)

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जारी की गई निधियां			आर्युज्ञान योजना के तहत जारी की गई कुल निधियां
		क्षमता निर्माण और सीएमई घटक	आयुष में अनुसंधान और नवाचार घटक	आयुर्वेद जीवविज्ञान एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान घटक	
1.	आंध्र प्रदेश	18.00	-	1059.54	1077.54
2.	असम	9.73	-	-	9.73
3.	छत्तीसगढ़	1.09	-	-	1.09
4.	चंडीगढ़	-	0.83	-	0.83
5.	दिल्ली	98.26	305.07	-	403.33
6.	गुजरात	112.17	13.58	498.85	624.60
7.	हरियाणा	9.00	9.57	-	18.57
8.	हिमाचल प्रदेश	36.53	-	-	36.53
9.	जम्मू और कश्मीर	18.00	36.78	-	54.78
10.	झारखंड	-	26.15	-	26.15
11.	कर्नाटक	155.92	98.65	499.31	753.88
12.	केरल	28.22	36.09	-	64.31
13	मध्य प्रदेश	145.50	-	-	145.50
14.	महाराष्ट्र	243.96	135.56	498.49	878.01
15.	मेघालय	45.00	-	-	45.00
16.	ओडिशा	73.38	29.73	-	103.11
17.	पुदुचेरी	-	23.80	-	23.80
18	राजस्थान	201.39	-	-	201.39
19.	तमिलनाडु	122.95	215.56	-	338.51
20.	तेलंगाना	54.00	28.88	-	82.88
21.	उत्तर प्रदेश	215.75	54.84	56.00	326.59
22.	उत्तराखंड	18.00	34.69	-	52.69
23.	पश्चिम बंगाल	36.36	16.74	-	53.10
	कुल	**1643.21**	**1066.52**	**2612.19**	**5321.92**